न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 108 / 2023 वाद

GCMS No. – 2023 / 420

1. मु० उदी बेवा नाना गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ ।
2. उदी पिता नाना पत्नी कन्हैयालाल गुर्जर निवासी सरथल हाल मुकाम धराणा तहसील चित्तौडगढ़ ।
3. जयराज पिता वरदा जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ ।
4. बाबुलाल पिता वरदा जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
5. मु० भग्गू बाई बेवा उदयराम पिता शोराम जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (।
6. मुन्नी पुत्री नाना जी पत्नी प्रभुलाल जी गुर्जर निवासी सरथल हाल मुकाम बामनिया तहसील चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
7. रमेश पिता नाना जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ।
8. हरचन्द पिता भैरूलाल जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
9. सूरज पिता उदयराम जी गुर्जर आयु 8 साल नाबालिग सरपरस्त माता भग्गू बाई बेवा उदयराम गुर्जर, आयु 60 साल, निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
10. निर्मला पुत्री उदयराम जी गुर्जर आयु 16 साल नाबालिग सरपरस्त माता भग्गू बाई बेवा उदयराम जी गुर्जर, आयु 60 साल, निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज०)।

वादीगण

बनाम

1. बगदी बाई पत्नी रूपलाल जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज०) ।
2. कालुराम पिता रूपलाल जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ (राज०) ।
3. समगोपाल पिता रूपलाल जी गुर्जर, आयु 18 साल, निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज०) ।
4. मुकुन्द कुमार पिता रतनलाल जी गुर्जर निवासी सरथल हाल मुकाम पेमाखेड़ा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ (राज०)।
5. रतनलाल पिता मांगु जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
6. सागरमल पिता मांगु जी गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
7. सोहनी पुत्री मांगु जी पत्नी गिरधारी जी गु[illegible]ठा तहसील जावद जिला।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील निम्बाहे[illegible] जिला [illegible]डगढ़ (राज०)।

.. प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा [illegible] काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता वादीगण
2– श्री कौशल भराडिया – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,5,6

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

:: निर्णय ::

दिनांक :– 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तेनी पैतृक आराजियात वाके मौजा अरनोदा प०ह० पटवार हल्का तह० निम्बाहेडा में खाता सं० पुराना 366 की आराजी नम्बर 1533/60 रकबा 4 बिस्वा लगानी 19 पैसे आ0नं0 66 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, आ0नं0 67 रकबा 15 बिस्वा लगानी 56 पैसे कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, नये खाता सं० 556 की आ०नं० 86 रकबा 0.0500 हे० आ0नं0 94 रकबा 0.0100 गे० मु०चाह रकबा, आ०नं० 95 रकबा 0.7800 हे० ,आ०नं0 96 रकबा 0.1900 हे० ,किता 4 कुल रकबा 1.0300 वाके मोजा अरनोदा प०ह० अरनोदा तहसील निम्बाहेडा स्थित है।

2. नानुराम की मृत्यु 23 साल पूर्व हो चुकी है, उनके पुत्र उदयराम, रमेश, व पुत्री उदी और एक पुत्री मुन्नी हुई, नानुराम जी ने दुसरा विवाद उदी के साथ किया है, जिसका पुत्र रमेश है, नानुराम जी के पुत्र उदयराम की मृत्यु 2 साल पूर्व हो चुकी है, उसका पुत्र सूरज, एक पुत्री निर्मला और उसकी पत्नी भग्गू बाई है। इसी प्रकार वरदीचंद की मृत्यु 30 साल पूर्व हो चुकी है, उसके 2 पुत्र जयराम और बाबुलाल है, इसी प्रकार मांगु जी की मृत्यु 4 साल पूर्व हो चुकी है, उनके पुत्र रतन, रूपा, सागर और नन्दू व सोहनी पुत्रियां है, रूपा की मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है, उसके पुत्र कालुराम और रामगोपाल है और उसकी बेवा बगदी है। इसी प्रकार नन्दू की भी मृत्यु हो चुकी है, उसका एक पुत्र मुकुन्द है।

3. वादीगण और प्रतिवादीगण नोला जी के पुत्र है, भैरू के वारिसान वादीगण है और मांगु के वारिसान प्रतिवादीगण है। वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की आराजीयात नम्बर 421 रकबा 0.1200 हैक्टेयर लगानी 1 रू0 14 पेसे, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.7500 हैक्टेयर लगानी 14 रू0 25 पैसे, यह आराजीयात नोला जी के जमाने से चली आ रही है और नोला के वारिसान भैरू और मांगु जी का नोला जी के मरने के बाद शामलाती कब्जा चला आ रहा है। भैरू जी के मरने के बाद उनके वारिसान मे से उनके पुत्र नानुराम और वरदा भी हुए, उनकी मृत्यु हो गई है, उनके मरने के बाद उनका शामलाती कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर 1/2 हिस्से पर वादीगणों और 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगणों का शामलाती कब्जा चला आ रहा है।

4. मौजा सरथल आराजी नम्बर 421 ओर 441 दोनो मिले हुये है ओर एक ही चक है, जिसके पडोस इस प्रकार है, पूर्व मे मोहन, पश्चिम में प्रतिवादीगणों की आराजीयात और कुछ हिस्सा वादीगणों का भी है, उत्तर में मोहनलाल, दक्षिण रतनलाल, इन चारो पडौस के बीच की आराजीयात [illegible] है, उत्तरी तरफ का हिस्सा प्रतिवादीगणों के पास है और दक्षिण [illegible] हिस्सा वादीगणों के पास है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में [illegible] गया है, परन्तु कब्जा शामलाती संयुक्त रूप से नोला जी के [illegible] चला आ रहा है, और काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार शामलाती कब्जा पिछले 100 साल से चला आ रहा है। जबसे वादीगणों को याद पडता [illegible] तबसे शामलाती कब्जा चला आ रहा कि अभी हाल ही में वादीगणों और प्रतिवादीगणों के बीच में विवाद हुआ तो प्रतिवादीगण जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है इसका नाजायज फायदा उठाते

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुये वादीगणों को जबरन बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लगातार कब्जे से वादीगण इस विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है, चूंकि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगणों का जन्म से अधिकार है। ऐसी स्थिति में वादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार है, चूंकि वादीगण और प्रतिवादीगणों का शामलाती कब्जा है, इसलिये वादीगण विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा अपना अलग अपने नाम दर्ज कराकर बंटवारा कराने के अधिकारी है और इसी लिये वादीगणों ने यह दावा बंटवारा आराजीयात का भी पेश किया है।

5. वादीगण को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल करने लगे तो गांव के मोतबिर व्यक्तियों ने प्रतिवादीगणों को समझाया बुझाया पर वे किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नहीं है, इसलिये मजबूरन वादीगणों को यह दावा घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड रहा है। दावा बंटवारा आराजीयात का है, इसलिये राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा को भी प्रोफार्मा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,5,6 के अधिवक्ता ने प्रकरण में श्री कौशल भराडिया ने वकालतनामा मय वकील उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद विड्रा किये जाने प्रार्थना पत्र पेश किया बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की खाता संख्या 90 प्रति पेश की है इसलिए वाद वादीगण राजीनामे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>घोषणा है कि</u>

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की आराजी नम्बर 441 रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी बगदीबाई के हिस्से में ,प्रतिवादी रतनलाल पिता मांगू के हिस्से में और सागर पिता मांगू के हिस्से में कुल 0.31 हैक्टेयर की भूमि लोक अदालत की भावना से राजीनामे अनुसार वादी क्रमांक 8 को 0.10 हैक्टेयर एवं वादी क्रमांक 3 को 0.05 हैक्टेयर, वादी क्रमांक 7 के 0.06 हैक्टेयर, वादी क्रमांक 4 के 0.05 हैक्टेयर, वादी क्रमांक 5 के 0.05 हैक्टेयर इस प्रकार 0.31 हैक्टयेर भूमि को खातेदार घोषित किया जाता है एवं शेष रकबा 0.44 हैक्टेयर बदस्तुर रहेगा। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा विड्रा कि[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.08.202[illegible] लोक अदालत में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner